<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-71/2017/टोंक (2017/00085)

1. दानिश पुत्र अब्दुल कवी,
2. अब्दुल रफी पुत्र अब्दुल कवी,
3. फाएजा पुत्री अब्दुल कवी,
4. कायनात पुत्री अब्दुल कवी,
5. श्रीमती जेनब विधवा अब्दुल कवी,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी गली मोलाबक्श रजबन, टोंक तहसील व जिला टोंक ।
6. अब्दुल सऊफ पुत्र अब्दुल रशीद,
7. दाऊद रशीद पुत्र अब्दुल रशीद,
8. सम्माह पुत्री अब्दुल रशीद,
9. मदीहा पुत्री अब्दुल रशीद,
10. सीमा विधवा अब्दुल रशीद,
    समस्त जाति मुसलमान, नि0 गली हुदा मस्जिद ताज कॉलोनी देवली रोड़, टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. छुट्टू खां पुत्र मच्छू खां,
2. मन्जू खां पुत्र मच्छू खां,
3. शरीफ खां पुत्र मच्छू खां,
4. मूजीव खां पुत्र मच्छू खां,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी गुलजार बाग, टोंक ।
5. नसीम खां पुत्र अय्यूब खां, जाति मुसलमान, नि0 महिन्दा कम्पनी ट्रेक्टर, वाटिका के पास, सवाई माधोपुर रोड़, टोंक ।
6. अहमद पुत्र हफीज खां, निवासी सबील शाह की चौकी के पास, गुलजार बाग, टोंक ।
7. सईद मियां पुत्र अशफाक अहमद, नि0 नजरबाग, टोंक ।
8. चिरोन्जी पुत्र प्रतापा बैरवा, नि0 कांटे के पास, धन्ना तलाई, टोंक ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 30.6.2017 अंतर्गत अपील संख्या 238/2016.</u>

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :— 10.5.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 9 के प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि खसरा नंबर 6448 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 6450 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 6588 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा टोंक शर्की में अवस्थित है । प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 द्वारा उक्त भूमि की सीमायें अपनी भूमि को जोतते हुए जानबूझ कर वादीगण की भूमि को अपनी जमीन में मिलाते है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त विवादित भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अपीलांटस द्वारा दिनांक 17.3.2017 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के प्रार्थना पत्र धारा 1 नियम 10 जा0दी0 को निर्णित किये बिना निर्णय दिनांक 30.6.2017 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 128 राज0भू–राजस्व अधि0 स्वीकार करते हुए विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने धारा 6 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के मध्य विवादित आराजियात को लेकर राजस्व वाद विचाराधीन है । अपीलांटस रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में आवश्यक पक्षकार थे किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अपीलांटस को उक्त प्रकरण में

पक्षकार कायम नहीं किया है । धारा 128 राज0भू–राजस्व अधि0 के प्रकरण के निर्णय से अपीलांट्स के हित प्रभावित हुए है । अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.6.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0भू–राजस्व अधि0 के विचाराधीन रहते अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत किया था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स के उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में विवादित आराजियात बाबत् पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद संख्या 52/2014 अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विचाराधीन है परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अपीलांट्स को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 6588 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा को सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के अपीलांट्स की खातेदारी से हटाकर रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज की है तथा उक्त गलत इंद्राज के संबंध में अपीलांट्स का राजस्व वाद संख्या 52/2014 विचाराधीन है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 संधारण योग्य नहीं था। रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना सकता है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.6.2017 अपास्त किया जावे । xx

1- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 द्वारा उसकी उपरोक्त खातेदारी आराजियात में हस्तक्षेप करने से रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन किया था । अपीलांट्स वर्तमान में विवादित आराजियात के खातेदार नहीं है तथा अपीलांट्स से कोई अनुतोष अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट्स को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया था । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.

2015 को खारीज किया जा चुका है इसलिये अपीलांटस का विवादित आराजी से कोई संबंध, सरोकार नहीं है तथा ना ही अपीलांट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.6.2017 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है इसलिये अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

2- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना न्यायोचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के मध्य विचाराधीन है । इसके विपरीत रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का कथन है कि उक्त वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2015 को खारिज किया जा चुका है यद्यपि रेस्पो0 ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । पत्रावली एवं अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रस्तुत किया था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला । हम अपीलांटस को न्यायहित में सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.6.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

3- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगताय 4 के मध्य विवादित आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 52/2014 अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विचाराधीन है । इसके बावजूद रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0भू-राजस्व अधि0 1956 में अपीलांटस को पक्षकार नियुक्त नहीं किया । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 17.3.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 6098 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नंबर 6588 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 साहिबजादा अब्दुल मजीद खां पुत्र साहिबजादा अब्दुल रशीद खां की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिसका इंद्राज जमाबंदी बंदोबस्त हैदर साहब संवत् 1942 में दर्ज है । मजीद खां के देहांत के बाद उक्त भूमि का इंद्राज गलत रूप से अप्रार्थीगण के पिता मच्छू खां व मच्छू खां के देहांत के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गई है तथा इस संबंध में राजस्व वाद संख्या 52/2014

अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विचाराधीन है । तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.4.2017 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 के निर्णय एवं आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को निर्णित किये बिना दिनांक 30.6.2017 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णित कर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थर किये जाने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को सर्वप्रथम आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष को सुनकर निर्णित करना आवश्यक था कि प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है अथवा नहीं तत्पश्चात् ही अधी0न्याया0 को प्रकरण निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो स्पष्ट रूप से विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है । इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा किया गया कथन उचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट होने से अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.6.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 71/2017 (2017/00085) बउनवानी दानिश बनाम छुट्टू खां व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 238/2016 बउनवान छुट्टू खां बनाम नसीम खां में पारित निर्णय दिनांक 30.6.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के कम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को निर्णित कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 10.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर